रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26032024-253356
SG-DL-E-26032024-253356

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 503

No. 105] DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946 [N. C. T. D. No. 503

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 22 मार्च, 2024

फा. सं. 1(241)/स्था./भर्ती नियम (एमटीएस)/2022/9120-27.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जीएसआर 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उच्च शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में''**मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)''** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–

(i) इन नियमों को उच्च शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 'मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)', भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेख बद्ध करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:—इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक अथवा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**मल्टी टास्किंग स्टाफ**
2.	**पदों की संख्या**	:	03* (2024) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—1 (रुपये 18000—56900/—)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18—25*वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप**:—आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18—27 वर्ष के बीच होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता**	:	**अनिवार्य :** मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) —

			1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा) –**अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष –**सदस्य** 3. उप–सचिव (वित्त)–**सदस्य** **टीप** :– यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. एलिस वाज़, सचिव

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd March, 2024

F. No. 1(241)/Estt./RRs(MTS)/2022/9120-27.—In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affair's Notification No. GSR 840 dated 13thJuly, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Rules regulating the method of recruitment to the post of "Multi Tasking Staff (MTS)" in Directorate of Higher Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement –

(i) These rules may be called the Directorate of Higher Education, Government of National Capital Territory of Delhi, 'Multi Tasking Staff (MTS)', Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, their classification and pay level in the pay matrix :- The number of said post, their classification and pay scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc:- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in the Columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications:-No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that Government may, if satisfied, that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax: -** Where the Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultant with the Competent Authority, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1	Name of the Post	Multi Tasking Staff
2	Number of Post	03* (2024) *subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service Group-'C', Non-Gazetted, Non

		Ministerial
4	Level in the Pay Matrix	Level-1 (Rs. 18000-56900/-) of the pay matrix
5	Whether Selection post or non- selection post.	Not Applicable
6	Age limit for Direct Recruits	Between18-25 years* (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up all-India Open competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.
7	Educational & other qualification required for Direct Recruits.	**Essential**: Matriculation or equivalent pass from Recognized Board/University.
8	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of from Promotees.	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Two Years
10	Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/Absorption & % of the posts to be filled by various methods	By Direct Recruitment
11	In case of Recruitment by Promotion/Deputation/ Absorption, grades from which Promotion/Deputation/ Absorption to be made.	Not Applicable
12	If a DPC exists, what is its composition	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):- 1. Principal Secretary/Secretary, (Power) – **Chairperson** 2. Head of the Department Concerned – **Member** 3. Dy. Secretary (Finance) – **Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not Applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor of

National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.26 18:54:35 +05'30'